इंडिया रिसोर्स सेंटर

कोका कोला कंपनी के बाटलिंग प्लांट
सिन्हाचंवर, बलिया, उत्तर प्रदेश (भारत)
पर
स्वतंत्र जांच दल की प्राथमिक रिपोर्ट

३ जून २००७

दल के सदस्य

१. सिन्हाचंवर गांव, बलिया के २० सदस्य
२. गोपाल कृष्ण (सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन एण्ड कम्यूनिटी हेल्थ, जेएनयू, नई दिल्ली)
३. नंदलाल मास्टर (लोकसमिति, राजातलाब, वाराणसी, उत्तर प्रदेश)
४. अमित श्रीवास्तव (इंडिया रिसोर्स सेंटर, सैंन फ्रांसिस्को, अमेरिका)

रिपोर्ट में शामिल है

१. परिचय
२. प्राथमिक जांच और सर्वे
३. समीक्षा
४. सुझाव

१. परिचय

सिन्हाचंवर में कोका-कोला का बाटलिंग प्लांट है. सिन्हाचंवर एक पंचायत है जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पड़ती है. उत्तर प्रदेश स्थित धर्म नगरी बनारस से सिन्हाचंवर की दूरी १६० किलोमीटर है. वैसे बलिया भोजपुरी इलाका है और गंगा के किनारे होने के कारण उर्वर भू-संपदा का वरदान उसे मिला हुआ है. पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यहीं से लोकसभा के लिए चुनकर आते हैं.

यहां पानी की प्रचुरता है और यहां अनाज और सब्जी की अच्छी खेती होती है. यहां पैदा की गयी सब्जियों को देश के दूसरे शहरों और महानगरों तक भेजा जाता है. एक तरह से कृषि संपदा के लिहाज से यह खुशहाल क्षेत्र है.

२. प्राथमिक जांच और सर्वे

सिन्हाचंवर जाने का कार्यक्रम बना वहां की ग्राम पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चिंता देवी के निमंत्रण से. उन्होंने हमें आमंत्रित किया कि कोका-कोला के बाटलिंग प्लांट से उन लोगों को जो समस्याएं हो रही हैं, उससे वे हमें अवगत कराना चाहती हैं. हमारे वहां जाने पर एक स्कूल में बैठक का आयोजन किया गया था. स्कूल कोका-कोला के बाटलिंग प्लांट से थोड़ी ही दूरी पर है. बैठक में लगभग पचास लोग आये थे. इन पचास लोगों में २० के करीब महिलाएं थीं. वहां आये लोगों ने संक्षेप में बताया कि बॉटलिंग प्लांट के कारण उन लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं. इस संक्षिप्त सुनवाई के बाद जांच-दल के सदस्य और वहां एकत्र सभी लोग बॉटलिंग प्लांट देखने भी गये.

यहां वृंदावन बाटलर्स लिमिटेड कोका-कोला के लिए बाटलिंग का काम करता है. वृंदावन बाटलर्स लढ़ानी ग्रुप की कंपनी है जो कि भारत में कोका-कोला बेवरेजेज के लिए सबसे बड़े बाटलर्स के रूप में काम करते हैं. वृंदावन बाटलर्स कोका-कोला के साथ संयुक्त उद्यम के तहत कारोबार करते हैं. यहां आपको एक जानकारी देते चलें. पूरी दुनिया में कोका-कोला और पेप्सी संयुक्त उद्यमों के जरिए ही अपना ज्यादातर उत्पादन करते हैं. कोका-कोला की इस तरह के संयुक्त उद्यम के बारे में रणनीति स्पष्ट है. कोका-कोला कंपनी कहती है-

भारत में कोका-कोला के बॉटलर्स का काम करनेवाली सभी कंपनियों के ऊपर सीबा (स्टैण्डर्ड इंटरनेशनल बॉटलर्स एग्रीमेन्ट) लागू होता है. फिर चाहे वे कंपनी की अपनी ईकाई हो या फिर संयुक्त उद्यम. इस अनुबंध का समय-समय पर नवीनीकरण होता रहता है.

यह अनुबंध वैश्विक है और कंपनी के अपने स्वयं के बॉटलिंग प्लांट और संयुक्त उद्यम द्वारा स्थापित बाटलिंग प्लांट, दोनों पर समान रूप से लागू होता है. कंपनी द्वारा अधिगृहित और संयुक्त उद्यम द्वारा स्थापित दोनों तरह के बॉटलिंग प्लांट पर एक ही मानक बिंदु का प्रयोग किया जाता है. इसके लिए कंपनी की अपनी एक नियंत्रण प्रणाली है जिसमें उत्पाद की गुणवत्ता, पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को लेकर समान रूप से नियम तय किये गये हैं. इसकी समय-समय पर जोच-पड़ताल होती है और जरूरी पड़ने पर नये आयामों को भी जोड़ा जाता है. संयुक्त उद्यमों के लिए कंपनी ने एक फ्रैंचाईजी मैनेजर की नियुक्ति की है. इसके अलावा स्थानीय स्तर पर तकनीकि और गुणवत्ता की परख के लिए भी मैनेजरों की नियुक्ति की जाती है. इसके साथ ही कंपनी संयुक्त उद्यम में काम करनेवाले श्रमिकों के लिए समय-समय पर तकनीकि मदद और प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करती है.

३. समीक्षा

क) गैरकानूनी ढंग से जमीन पर कब्जा

ख) अपशिष्ट का गैरकानूनी निस्तारण

ग) पानी की समस्या

क) गैर कानूनी ढंग से जमीन पर कब्जा

कोका कोला का यहां जो बाटलिंग प्लांट लगा है उसमें कुछ जमीन ग्राम सभा की है जिसपर बॉटलर ने अनिधिकृत कब्जा कर लिया है. ग्राम सभा की ऐसी जमीन का उपयोग आमतौर पर सार्वजनिक उपयोग के लिए होता है. इस जमीन पर गांव का सामूहिक अधिकार होता है. गांव के लोगों ने बातचीत में हमें बताया कि लगभग १.५ एकड़ जमीन कोका-कोला के बॉटलर ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है. ९ दिसंबर २००५ को वृंदावन बाटलर्स ने बाटलिंग परिसर और गांव के बीच से गुजरनेवाली सड़क पर एक गेट लगा दिया. यह अवैधानिक काम था. इसके दो दिन बाद सिन्हाचंवर पंचायत ने बैठक कर कंपनी के इस काम का विरोध किया और एक प्रस्ताव भी पास किया. उसी दिन पंचायत के लोगों ने सामूहिक रूप से गेट को उखाड़कर फेंक दिया.

आज वहां गेट तो नहीं है लेकिन जब भी आप वहां से गुजरते हैं तो आपको आभास होता है कि आप कंपनी के परिसर से गुजर रहे हैं. और मजेदार बात तो यह है कि वह परिसर हड़पी गई जमीन पर खड़ा है.

ख) अपशिष्ट पदार्थों का गैरकानूनी निस्तारण

गांववालों से बैठक करने के बाद हम लोग कोका-कोला के बॉटलर प्लांट को देखने गये. हमने देखा कि आम सड़क के पश्चिम में बना ट्रीटमेन्ट प्लांट काम नहीं कर रहा है. आजकल जबकि बाटलिंग प्लांट में कोका-कोला के उत्पादों का तेजी से उत्पादन हो रहा है ट्रीटमेन्ट प्लांट की दुर्दशा सारी कहानी कह रही है. ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास कई तरह के घातक अपशिष्ट बिखरे हुए थे. काले और सफेद रंग के पदार्थ के साथ साथ वहां प्लास्टिक की थैलियां भी भारी मात्रा में इधर-उधर पड़ी हुई थीं.

अपने पिछले अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोका-कोला के बंद पड़े ट्रीटमेन्ट प्लांट के आस-पास जो काला सफेद अपशिष्ट पदार्थ पड़ा था वह इसी से निकला था और इस गाद या अपशिष्ट पदार्थ को भारत सरकार खतरनाक घोषित कर चुकी है. बीबीसी भी पहले के अपने अध्ययनों में कोका-कोला के बाटलिंग प्लांट से इस तरह के अपशिष्ट मिलने की बात की है.

२००३ में भारत सरकार के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देशभर में कोका-कोला की आठ फैक्ट्रियों का सर्वेक्षण किया था. यह वही दौर था जब कोका-कोला के खिलाफ देश में हंगामा मचा हुआ था. यहां जिस गाद का उल्लेख हम कर रहे हैं उसका परीक्षण बोर्ड ने किया था. बोर्ड ने परीक्षण में पाया था कि इसमें खतरनाक स्तर पर धातुओं (शीशा, रांगा और क्रोमियम) के बड़े-बड़े टुकड़े मौजूद हैं. इसके बाद बोर्ड ने कोका-कोला कंपनी को आदेश दिया था कि इस अपशिष्ट का निपटान वह औद्योगिक कचरे की तरह करे.

इस तरह से खुले में घातक रसायनों का फैला होना सीधे तौर पर भारतीय कानूनों का उल्लंघन है. भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के खतरनाक अपशिष्ट (मैनेजमेंट एण्ड हैंडलिंग) अधिनियम १९८९ के तहत इस तरह के अपशिष्टों का निपटान ठीक तरीके से न करने को कानून में अपराध माना गया है.

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोका-कोला के बाटलिंग प्लांटों की जांच के पहले स्थिति और भयावह थी. पहले कंपनी के सभी बाटलिंग प्लांट अपने यहां से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को वैसे ही फैक्टरी से बाहर फेंक देते थे जैसे किसी आम घर से कूड़ा बाहर फेंक दिया जाता है. कुछ घटनाएं तो ऐसी भी हुई हैं कि कंपनी ने अपने यहां से निकलने वाले घातक रसायन को किसानों को यह कहते हुए दे दिया कि यह खेत के लिए अच्छा उर्वरक है.

बलिया के इस बाटलिंग प्लांट के पिछवाड़े में हमने देखा कि फैक्ट्री से निकलनेवाला गंदा पानी जैसे का तैसे एक नहर में डाल दिया जाता है. यह नहर आगे जाकर पवित्र गंगा में मिलती है. यही नहीं यहां से निकलनेवाला गंदा पानी आस-पास के खेतों में जमा हो जाता है. कई खेतों में हमने देखा कि फैक्ट्री से निकलनेवाला गंदा पानी जमा है. बाटलिंग प्लांट से गंदा पानी मनमानी रूप से निकलता है. जाहिर सी बात है कि अगर ट्रीटमेन्ट प्लांट काम नहीं कर रहा है तो वहां से निकलनेवाला पानी कतई साफ नहीं हो सकता. पानी में भी कई तरह के प्रदूषण मौजूद होंगे. यही प्रदूषित पानी खेतों में फैलकर फसलों को बर्बाद कर रहा है और लंबे समय तक यही स्थिति बनी रही तो भूजल के भी प्रदूषित होने का खतरा पैदा हो जाएगा. यही सब चलता रहा तो खेती तो खराब होगी ही पीने का पानी भी प्रदूषित होगा और इसके कारण लोगों के स्वास्थ पर जो असर पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि बाटलिंग प्लांट इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा.

भारत में कोका-कोला के जितने भी बाटलिंग प्लांट हैं वे सभी खतरनाक रसायनों का प्रयोग करते हैं और खतरनाक रसायनों को अपशिष्ट पैदा भी करते हैं. सर्वोच्च न्यायालय के १४ अक्टूबर २००३ के आदेश के बाद भारत सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें साफ कहा गया है कि सभी बाटलिंग प्लांट के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने प्रवेश द्वार पर साफ-साफ यह सूचना लिखें कि उनकी फैक्ट्री में किस तरह के घातक रसायन प्रयोग होते हैं. इन कानूनों का पालन करने की जहमत कोई नहीं उठाता, बलिया में भी यही देखने को मिला.प्लांट के गेट पर नोटिसबोर्ड लगा हुआ था उसमें ऐसी कोई सूचना नहीं दिखी जो काम की हो. उस बोर्ड के पहले कॉलम में लिखा था कि इस फैक्ट्री में कच्चे माल के रूप में जो सामान प्रयुक्त होता है उसमें कितना खतरनाक रसायन मिला हुआ है. इस कॉलम के आगे बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था- जीरो.

कानूनों के पालन की जहमत कौन उठाये. उल्टे हमें बलिया के कोका-कोला बाटलिंग प्लांट में जो कुछ देखने को मिला वह तो और भी चौंकानेवाला था. जैसे ही हम प्लांट के गेट पर पहुंचे हमें वहां कुछ कर्मचारी मिल गये. इतने में एक कर्मचारी भागकर अंदर गया और एक बंदूक लेकर वापस लौटा. वह हमारे पास तो नहीं आया लेकिन वह इस तरह से खड़ा था कि हम यह देख लें कि उसके हाथ में बंदूक है. उसके बाद सबने मिलकर फैसला किया कि अब हमें वापस लौट जाना चाहिए.

ग) पानी की समस्या

जिस दिन हम सिन्हाचंवर में कोका-कोला का बाटलिंग प्लांट देखने गये थे उस दिन वहां का तापमान था ४६ डिग्रीसेन्टीग्रेट. उस इलाके के लिए यह तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा था. आस-पास के लोगों का यह भी कहना था कि कोका-कोला के इस बाटलिंग प्लांट के लगने के बाद कई हैंडपंपों में पानी आना बंद हो गया है और कुंओं में भी पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है. जब हमने यह जानना चाहा कि क्या पहले से ही जलस्तर की समस्या थी या फिर प्लांट लगने के बाद ही यह बढ़ी है तो स्थानीय लोगों का साफ कहना था कि प्लांट लगने के बाद ही जलस्तर तेजी से नीचे गया है.

यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि इतनी सारी समस्या तब है जब कोका-कोला का यह बाटलिंग प्लांट नियमित काम नहीं करता. हम लोग जब वहां गये थे तो बाटलिंग प्लांट अभी एक हफ्ते से ही शुरू हुआ था. स्थानीय लोगों का कहना कि कोला कंपनियों के खिलाफ जागरूकता आने से इनकी बिक्री में आयी गिरावट के कारण ऐसा हो रहा है कि फैक्ट्री नियमित तौर पर नहीं चल रही है.

४. सुझाव

सिन्हाचंवर के निवासियों से चर्चा और बातचीत के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि -

१. इलाके में लोगों को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए यह जरूरी है कि सिन्हाचंवर में कोका-कोला के लिए चल रहे वृंदावन बाटलिंग प्लांट को तुरंत बंद कर दिया जाए. इससे यहां का पर्यावरण, पानी और खेत-खलिहान बर्बाद होने से बच जाएंगे.

२. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तुरंत सिन्हाचंवर के इस बाटलिंग प्लांट की जांच करे और प्राथमिक स्तर पर जांच के दौरान हमें जो कुछ देखने को मिला है उसकी पुष्टि होने पर प्लांट के ऊपर तुरंत अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई करे.

३. केन्द्रीय जल बोर्ड भी इलाके में पानी की स्थिति की तुरंत जांच करे और यह पता लगाए कि पानी की मात्रा और क्वालिटी में कितना फर्क आया है.

४. बलिया के कलेक्टर इस बात की तुरंत जांच करें कि क्या गांववालों का यह आरोप सही है कि वृंदावन बाटलर्स ने अवैध तरीके से ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा कर लिया है.

५. अगर किसी भी तरह से वृंदावन बाटलर्स के मालिक दोषी पाये जाते हैं तो उनके ऊपर भारतीय कानूनों के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाए.

६.कोका-कोला के इस बाटलिंग प्लांट से इलाके को जो भी नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई भी इन्हीं बाटलर्स से करवाई जानी चाहिए.